

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 348/2024

अनवान : -

1. रोशनी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

- वादीया

बनाम्

1. रामदेव पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. बसन्ती पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहरं
3. शर्मिला पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 20/08/2024


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 34/33 की कुल कुल 3.1750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स० 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीया ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है प्रतिवादीगण वादीया के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होकर अजनबी क्रेतागणों को बेचान करना चाहते है। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीया को अपूर्ण्य क्षति होगी। अतः वादीया मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अपना खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहती है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया  की रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 34/33 की कुल कुल 3.1750 हैक्ट भूमि एवं रोही


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स० 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि का निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है—

- 1 रोशनी पत्नी साहबराम, बसन्ती, शर्मिला पुत्रिया साहबराम हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा० दीपलाना खातेदान रहन चक 7 आरएमजी पूर्ण हिस्सा चक 23 डीपीएन हिस्सा 15875/16696 एसडीएफसी बैंक चक 7 आरएमजी के प०न० 358/452 मु०न० 28 के किला न० 12-19 की 0.5060 हैक्ट, 11/1 की 0.1645 हैक्ट, 20/1 की 0.1645 हैक्ट, 21/2/1 की 0.1640 हैक्ट, 21/1/1 की 0.0130 हैक्ट गै०मु० खाला कुल रकबा 1.0120 हैक्ट जिसमें से 0.9990 हैक्ट नहरी व 0.0130 हैक्ट खाला व चक 23 डीपीएन के प०न० 346/448 मु०न० 55 के किला न० 6-15-16-25 की 1.0120 हैक्ट, 7/1 की 0.01260 हैक्ट, 14/1 की 0.0126 हैक्ट, 17/1 की 0.0127 हैक्ट, 24/1 की 0.0127 हैक्ट, प०न० 347/448 के मु०न० 56 के किला न० 12/2 की 0.2340 हैक्ट, 13/2 की 0.1140 हैक्ट, 13/4 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 19/1 की 0.0380 गै०मु० खाला, 19/2/2 की 0.0880 हैक्ट, 19/3 की 0.1080 हैक्ट, कुल रकबा 1.66960 हैक्ट जिसमें से 1.6066 हैक्ट नहरी व 0.0630 हैक्ट गै०मु० खाला
- 2 रामदेव पुत्र जेठाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा० दीपलाना खातेदार चक 7 आरएमजी के प०न० 357/452 मु०न० 29 के किला न० 15-16-25 की 0.7590 हैक्ट, प०न० 358/452 मु०न० 28 के किला न० 11/2 की 0.0885 हैक्ट, 20/2 की 0.0885 हैक्ट, 21/2/2 की 0.0630 हैक्ट, 21/1/2 की 0.0130 हैक्ट गै०मु० खाला कुल रकबा 1.0120 हैक्ट जिसमें से 0.9990 नहरी व 0.0130 हैक्ट खाला चक 23 डीपीएन के प०न० 346/448 के मु०न० 55 के किला न० 7/2 की 0.2404 हैक्ट, 14/2 की 0.2404 हैक्ट, 17/2 की 0.2403 हैक्ट, 24/2 की 0.2403 हैक्ट, प०न० 347/448 मु०न० 56 के किला न० 11-20 की 0.506 हैक्ट, 12/1 की 0.0190 हैक्ट, 19/2/1 की 0.0190 हैक्ट कुल रकबा 1.5054 हैक्ट नहरी

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि के खाता व लगान बाबत हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनाम ही वादी व प्रतिवादीगण खाता व लगान अलग करवाना चाहते हैं। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी डिकी फरमावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


अपस्रण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 34/33 की कुल कुल 3.1750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स० 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही सभी पक्षकार काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 34/33 की कुल कुल 3.1750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स० 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 रोशनी पत्नी साहबराम, बसन्ती, शर्मिला पुत्रिया साहबराम हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा० दीपलाना खातेदान रहन चक 7 आरएमजी पूर्ण हिस्सा चक 23 डीपीएन हिस्सा 15875/16696 एसडीएफसी बैंक चक 7 आरएमजी के प०न० 358/452 मु०न० 28 के किला न० 12-19 की 0.5060 हैक्ट, 11/1 की 0.1645 हैक्ट, 20/1 की 0.1645 हैक्ट, 21/2/1 की 0.1640 हैक्ट, 21/1/1 की 0.0130 हैक्ट गै०मु० खाला कुल रकबा 1.0120 हैक्ट जिसमें से 0.9990 हैक्ट नहरी व 0.0130 हैक्ट खाला व चक 23 डीपीएन के प०न० 346/448 मु०न० 55 के किला न० 6-15-16-25 की 1.0120 हैक्ट, 7/1 की 0.01260 हैक्ट, 14/1 की 0.0126 हैक्ट, 17/1 की 0.0127 हैक्ट, 24/1 की 0.0127 हैक्ट, प०न० 347/448 के मु०न० 56 के किला न० 12/2 की 0.2340 हैक्ट, 13/2 की 0.1140 हैक्ट, 13/4 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 19/1 की 0.0380 गै०मु० खाला, 19/2/2 की 0.0880 हैक्ट, 19/3 की 0.1080 हैक्ट, कुल रकबा 1.66960 हैक्ट जिसमें से 1.6066 हैक्ट नहरी व 0.0630 हैक्ट गै०मु० खाला
- 2 रामदेव पुत्र जेठाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा० दीपलाना खातेदार चक 7 आरएमजी के प०न० 357/452 मु०न० 29 के किला न० 15-16-25 की 0.7590 हैक्ट, प०न० 358/452 मु०न० 28 के किला न० 11/2 की 0.0885 हैक्ट, 20/2 की 0.0885 हैक्ट, 21/2/2 की 0.0630 हैक्ट, 21/1/2 की 0.0130 हैक्ट गै०मु० खाला कुल रकबा 1.0120 हैक्ट जिसमें से 0.9990 नहरी व 0.0130 हैक्ट खाला चक 23 डीपीएन के प०न० 346/448 के मु०न० 55 के किला न० 7/2 की 0.2404 हैक्ट, 14/2 की 0.2404 हैक्ट, 17/2 की 0.2403 हैक्ट, 24/2 की 0.2403 हैक्ट, प०न० 347/448 मु०न० 56 के किला

न0 11-20 की 0.506 हैक्ट, 12/1 की 0.0190 हैक्ट, 19/2/1 की 0.0190 हैक्ट कुल
रकबा 1.5054 हैक्ट नहरी

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा
किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा
तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना
अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

a
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 348/2024

अनवान : -

1. रोशनी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

- वादीया

बनाम्

1. रामदेव पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. बसन्ती पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहरं
3. शर्मिला पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 348 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 34/33 की कुल कुल 3.1750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. रोशनी पत्नी साहबराम, बसन्ती, शर्मिला पुत्रिया साहबराम हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा0 दीपलाना खातेदान रहन चक 7 आरएमजी पूर्ण हिस्सा चक 23 डीपीएन हिस्सा 15875/16696 एसडीएफसी बैंक चक 7 आरएमजी के प0न0 358/452 मु0न0 28 के किला न0 12-19 की 0.5060 हैक्ट, 11/1 की 0.1645 हैक्ट, 20/1 की 0.1645 हैक्ट, 21/2/1 की 0.1640 हैक्ट, 21/1/1 की 0.0130 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल रकबा 1.0120 हैक्ट जिसमें से 0.9990 हैक्ट नहरी व 0.0130 हैक्ट खाला व चक 23 डीपीएन के प0न0 346/448 मु0न0 55 के किला न0 6-15-16-25 की 1.0120 हैक्ट, 7/1 की 0.01260 हैक्ट, 14/1 की 0.0126 हैक्ट, 17/1 की 0.0127 हैक्ट, 24/1 की 0.0127 हैक्ट, प0न0 347/448 के मु0न0 56 के किला न0 12/2 की 0.2340 हैक्ट, 13/2 की 0.1140 हैक्ट, 13/4 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 19/1 की 0.0380 गै0मु0 खाला, 19/2/2 की 0.0880 हैक्ट, 19/3 की 0.1080 हैक्ट, कुल रकबा 1.66960 हैक्ट जिसमें से 1.6066 हैक्ट नहरी व 0.0630 हैक्ट गै0मु0 खाला
2. रामदेव पुत्र जेठाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा0 दीपलाना खातेदार चक 7 आरएमजी के प0न0 357/452 मु0न0 29 के किला न0 15-16-25 की 0.7590 हैक्ट, प0न0 358/452 मु0न0 28 के किला न0 11/2 की 0.0885 हैक्ट, 20/2 की 0.0885 हैक्ट,

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

21/2/2 की 0.0630 हैक्ट, 21/1/2 की 0.0130 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल रकबा 1.0120 हैक्ट जिसमें से 0.9990 नहरी व 0.0130 हैक्ट खाला चक 23 डीपीएन के प0न0 346/448 के मु0न0 55 के किला न0 7/2 की 0.2404 हैक्ट, 14/2 की 0.2404 हैक्ट, 17/2 की 0.2403 हैक्ट, 24/2 की 0.2403 हैक्ट, प0न0 347/448 मु0न0 56 के किला न0 11-20 की 0.5060 हैक्ट, 12/1 की 0.0190 हैक्ट, 19/2/1 की 0.0190 हैक्ट कुल रकबा 1.5054 हैक्ट नहरी

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर